

सेवा मे
(रामोद्धारा)
कलरसचिव,
सतीष द्वय

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

कानपुर | फ़ाइल क्रमांक : १००८-०-संग्रहीत \ ४५५४-१३६९७(१) |

उच्च शिक्षा अनुभाग-६

। लखनऊः दिनांक: २९ जनवरी, २००८

विषयः—महाविद्यालय संचालन हतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

। କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଲ୍ ଏକାନ୍ତରୀଯ ପାଦିଲ୍ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କାହାରେ ଥିଲା ?

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक—सी0एस0ज०एम०वि०वि०/सम्ब०/2532/2007, दिनांक 06.11.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाराशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, अल्लीपुर, हरदाइ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता संहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर्स—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

4. विश्वविद्यालय छात्र आवटन से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित योग्यता एवं अर्हता के अध्यापक/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं कार्यरत हैं तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य महाविद्यालय में अनुमोदित व कार्यरत नहीं हैं।

भवदीय,

(आर०क०मिश्र)

अनु सचिव ।

संख्या-4559(1) / सत्तर-६-२००७, तददिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

8008 1 निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

३. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४६, तिलकनगर, शांतिपथ, जयपुर।

४. प्रबन्धक, राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, अल्लीपुर, हरदोई।

5. निजी सचिव, मारुतराम सिंहा मंत्री जी।

6. गाड़ी फाईले। उसका अर्थ यह है कि निकल कर उभयं द्वितीय विनाश के लिए इनका लाभ आज्ञा से प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि निकल कर उभयं द्वितीय विनाश के लिए इनका लाभ आज्ञा से प्राप्त किया जाता है।

ਅਨੁ ਸਚਿਵ ।

-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

तांची ये अमृत-प्राप्ति का एक सुरक्षित विकल्प है।

ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ଯଦିଏହା କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ମୁହଁରାନି କିନ୍ତୁ ଏକ ପାଇଁ କି କିମ୍ବା ଏ କିଂଠ ମହିଳାନି ଆଜୁ ଅଲାଙ୍କୁଳୀ କିମ୍ବା

ਪ੍ਰਾਣੀਜਿਓ ਪਾਨਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝੀ ਕਿ ਅਥਵਾ ਕੁਝੀ ਭੈਖ ਕਿ ਹਾਥ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਟ ਹਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ

। ਮਿਸਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾਪਾਲੀ ਵਿਗਨਾਤ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ